

न्यायालय :- अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-3,
जोधपुर महानगर।
राज्य बनाम सूरजाराम
फौजदारी मूल संख्या .12472/ ..2019

14
4

दिनांक-11.02.2023

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ।

एपीपी उपस्थित।

सहायक अभियोजन अधिकारी ने एक प्रार्थनापत्र प्रकरण प्रत्याहरित करने बाबत पेश किया। प्रार्थनापत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 16 (01)/ल.प्र./विविध/गृह-10/2023 दिनांक 30.01.2023 द्वारा प्रकरण को वापस लिये जाने का आदेश दिया जा चुका है।

अतः समस्त स्थिति एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रकरण प्रतयाहित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभियुक्त सूरजाराम, सोनू सुगना के विरुद्ध प्रकरण में अब कोई वांछित नहीं रही है।

अभियुक्त सूरजाराम, सोनू सुगना को अपराध अंतर्गत धारा- 341,323/34 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है।

अतः प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर